न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 4046 / 2015

1. बलराज पुत्र किशनचंद मेहरचन्दानी जाति सिन्धी
2. धनराज पुत्र किशनचंद मेहरचन्दानी जाति सिन्धी

निवासीगण खिड़कीगेट केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——प्रार्थीगण

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. अध्यक्ष नगर पालिका केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

वादपत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काशतकारी अधि0

उपस्थितः— श्री शैलेन्द्रसिंह राठौड़— वकील प्रार्थी
श्री नवलकिशौर पारीक— वकील अप्रार्थी

Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक 17.06.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्त0 अधिनियम के तहत तथा उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी मे स्थित है,प्रार्थीगण के पिता किशनचंद पुत्र सहजराज जाति सिन्धी के कब्जे काश्त स्वामित्व उपयोग उपभोग की आराजीयात खसरा संख्या पुराने 5779 रकबा 04.01.10 बीघा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 7662 रकबा 0.66 है0 किस्म नहरी प्रथम वाकै जंगल केकड़ी मे स्थित है जो पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अब्दुल सलाम,अब्दुल मनान पुत्रान अब्दुल मनान जुलाहा के खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त अब्दुल सलाम से क्रय करने के पश्चात वर्णित प्रार्थीगण के पिता श्री किशनचंद सिन्धी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही थी। वर्ष 2001 मे श्री किशनचंद जी सिन्धी का देहान्त हो गया इसके उपरांत वर्णित आराजीयात पर कब्जा काश्त स्वामित्व उपयोग उपभोग प्रार्थीगण का चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता ने उक्त आराजीयात की वसीयत भी प्रार्थीगण के पक्ष मे कर रखी है तथा प्रार्थीगण के अतिरिक्त किशनचंद जी का कोई वारिस उत्तराधिकारी कायम मुकाम नहीं है। उक्त वर्णित आराजीयात को गलत व अवेध रूप से बगैर प्रार्थीगण की जानकारी के बगैर सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अवैध रूप से दिनांक 18.11.2012को जरिये नामान्तरण संख्या 2545 से उक्त खसरा संख्या 7662 को राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे सिवायचक दर्ज कर दिया गया, तदुपरान्त गलत एवं अवैध रूप से दिनांक 18.11.2012 को ही जरिये नामा0 संख्या 2546 नगर पालिका के अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया। वर्णित आराजी विगत 60 वर्षो से निरंतर एवं निर्बाध रूप से प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व उपयोग उपभोग मे चली आ रही है जिसके संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा की गई कार्यवाहियों मे तत्कालीन हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण का कब्जा काश्त माना है। उक्त वर्णित आराजीयात के मिसल तर्मीम भूमि के रेकार्ड की सूची मे काबिजदारों के कॉलम मे प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज है। प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार मालिक दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:50:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। अप्रार्थीगण 1 व 2 का जवाब प्राप्त होने पर वकील पक्षकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के लायक वकील श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपनी बहस मे बताया कि ग्राम केकड़ी की आराजी खसरा नंबर पुराने 5779 रकबा 04.01.10जिसके वर्तमान खसरा नंबर 7662 रकबा 0.66 है0 किस्म नहरी प्रथम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। नक्शा निष्क्रान्त कृषि भूमि का विवरण कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की सूची जो तहसील केकड़ी मे मौजूद है की क्रम संख्या 1 पर प्रश्नगत भूमि का विवरण अंकित है। इस सूची के कालम संख्या 8 मे वर्तमान मे काबिज व्यक्ति का नाम अंकित है जो प्रार्थीगण के पिता का नाम अंकित है। पटवारी हल्का केकड़ी द्वारा तहसीलदार केकड़ी को लिखे गए पत्र दिनांक 19.06.2008 जो कि पत्रावली पर मौजूद है के अनुसार भी प्रश्नगत आराजी पर किशनचंद,प्रार्थीगण के पिता का कब्जा है तथा रेकार्डेड खातेदार पाकिस्तान चले गए है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्राईमाफैसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण जबरन बेदखल कर देते है तथा आराजीयात अन्यों को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन सम्भव नहीं होगा व बहुवाद कार्यवाहियों का सामना करना पड़ेगा।

अप्रार्थीगण के लायक अभिभाषक श्री नवल किशोर पारीक ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि उक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 18.11.12 को जरिये नामान्तरण संख्या 2545 से उक्त खाता संख्या 7662 को राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे सिवायचक दर्ज कर दिया थां जो कि 18.11.2012 को ही जरिये नामान्तकरण संख्या 2546 नगर पालिका केकड़ी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया जो माननीय मुख्य सचिव महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक उ.स.(जी).(मु.स.)माविव/2012 दिनांक 27.09.2012 एवं पत्र कमांक 3 54 माविव/3/2011दिनांक 26.09.2012 को स्थानीय निकायों के क्षैत्राधिकार मे स्थित सिवायचक भूमि व कस्टोडियन भूमि को नगर पालिका के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। जो कि राजस्व रिकार्ड से संबंधित है। कब्जा काश्त तहसीलदार व पटवारी गिरदावर के रिकार्ड से संबंधित है व कब्जे काश्त से मालिक नहीं माना जाता है जो अवैध व मनगढन्त है। प्रार्थीगण की प्रार्थना मिथ्या व सारहीन है। प्रश्नगत आराजी नगर पालिका ने नाम दर्ज है जो सही है व वैध है। तथा इस आराजी को लेकर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने तथा मुद्रा मे मूल्याकंन नही होने की संभावना जानकारी के अभाव मे स्वीकार नहीं है। प्रार्थी अपने कथन स्वयं प्रमाणित करे। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैने वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। कस्बा केकड़ी की जमाबंदी संवत् 69-72 के खाता संख्या नया-पुरान 31-29 अब्दुल सलाम बालिग,अब्दुल मन्नान नाबा0 बसरबराही बालिग पिसरान अब्दुल रहमान जुलाहा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थी। नामा0 संख्या 2545 दिनांक 18.11.2012से सिवायचक खाते मे तथा नामा0 संख्या 2546 दिनांक 18.11.2012से नगर पालिका केकड़ी खाते मे दर्ज हो चुकी है। इस न्यायालय को वर्तमान मे यह देखना है कि प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों सारभूत प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष मे साबित कर पाये है अथवा नही

1.प्रथम दृष्टया केसः- कस्बा केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या नया-पुरान 31-29 अब्दुल सलाम बालिग,अब्दुल मन्नान नाबा0 बसरबराही बालिग पिसरान अब्दुल रहमान जुलाहा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थी। नामा0 संख्या 2545 दिनांक 18.11.2012से सिवायचक खाते मे तथा नामा0 संख्या 2546 दिनांक 18.11.2012से नगर पालिका के खाते मे दर्ज हो चुकी है। नगर पालिका रिकार्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नही दिया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:50:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
बलराज वगै0 बनाम अधिशाषी अधिकारी वगै0
प्रार्थना पत्र संख्या 111/2015,
212 स0टी0ए0

2सुविधा का संतुलनः– प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2069–72 मे पूर्ववर्ती खातेदार के नाम दर्ज है,जबकि निष्क्रान्त कृषि भूमि की सूची तथा ,पटवारी केकड़ी का पत्र दिनांक 19.06.18 के द्वारा प्रार्थीगण का कब्जा बताया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के कब्जे को लेकर विरोधाभाषी स्थिति है। प्रार्थीगण ने अपना कब्जा होने का कोई ठोस स्वतंत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

3अपूर्णनीय क्षतिः– प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड नहीं है,तथा उनका कब्जा भी निर्विवाद रूप से साबित नहीं हो पा रहा है। अतः प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना नहीं मानी जा सकती है।

इस प्रकार प्रार्थीगण अपने पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो बिन्दु साबित नहीं कर पाये है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना बाबत् अप्रार्थीगण को मूल वाद तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से, वाकै ग्राम केकड़ी की आराजी खसरा नंबर 7662 रकबा 0.66 है0 पाबंद करवाने का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं करता है। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे बाद शहादत तय किया जावेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:50:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner